

न्यायालय सहायक न्यायाधीश कठुमार (असहायक न्यायाधीश)

सहायक न्यायाधीश रिपोर्ट परतवारी हलका डारुआ न्यायालय डोमपुकडा 510 किलोमीटर जाट
प्रकरण अर्पणित परत 01 परतवारी परत रवेडनीरकेरेला

प्रकरण संख्या :- RA/67

निर्णय दिनांक :-

पत्रावली परतवारी हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यात्रा रवेडनीरकेरेला

की आरंभिक 161 रकम 0-19 किरान जमीन 0.01 में से 0.01
रकम पर-नी डोमपुकडा 510 किलोमीटर जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर

डोमपुकडा कब्जा कर लिया है। इस पर परतवारी हलका डारुआ द्वारा दिनांक

24/8/8 को उदात्त विरल कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मध्य ताईत
भू.अ.निरी. डारुआ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये

जाकर अतिक्रमी डोमपुकडा 510 किलोमीटर जाट निवासी रवेडनीरकेरेला को

न्यायालय अधिनियम 1950 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
करवाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गया। अतिक्रमी

उपस्थित नहीं। जवाब नोटिस पेश किये जाने शामिल पत्रावली है।

उक्त रकम का आरंभिक 161 रकम 0-19 में से 0.01

रकम किरान डोमपुकडा 510 किलोमीटर जाट के न्यायालय के यात्रा नहीं है कि हाजा रवेडनीरकेरेला को अतिक्रमणित

रकम से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उपर उक्त स्वरूप लगान 6 Pause का

50 गुणा 31 रुपये Three पैस नोटि आरोपित की जाती है मांग काथमी हेतु टीआरए को लिखा

जावे, पैस नोटि तामील एवं वेदखली हेतु हलका परतवारी डारुआ भू.अ.निरी.

डारुआ को लिखा जाकर बाद तामील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

डारुआ
सहायक न्यायाधीश
कठुमार (असहायक न्यायाधीश)
कठुमार, डारुआ (असहायक न्यायाधीश)

अतिरिक्त :- ज. ह.